



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8170 वर्ष 2026

मुनेश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: दिव्यांशु उपाध्याय, अरविंद, राजीव सिसोडिया

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, हेमंत शर्मा

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. राज्य द्वारा दायर अनुपालन हलफनामा और आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव सिसोदिया, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत शर्मा और राज्य के विद्वान एजीए श्री एस.बी. सिंह को सुना गया।
3. यह जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 250/2025, धारा 85, 80(2) बीएनएस और धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, पुलिस स्टेशन बादलपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक मृतक की सास हैं और झूठे आरोप के आधार पर उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में मृतक हमेशा अपने मायके जाना चाहती थी, इसलिए पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते थे। घटना वाले दिन भी ऐसा ही विवाद हुआ और उसके पति ने उसे मायके जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के बाद, सास होने के नाते ही आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतक की मृत्यु फांसी के कारण हुई है।
5. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का धोखाधड़ी के एक मामले में आपराधिक इतिहास है, लेकिन वह मामला वर्ष 2014 का है और उस मामले में आवेदक जमानत पर है।
6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक महिला है और उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। और इस मामले में वह 18.09.2025 से यानी पिछले छह महीनों से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आवेदक मृतक की सास हैं और उसकी बहू की शादी के चार महीने के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और दहेज की मांग के संबंध में यातना का भी आरोप है, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और मृतक की मृत्यु फांसी से हुई है। और इस मामले में आवेदक 18.09.2025 से यानी पिछले छह महीनों से जेल में है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

9. हालांकि, आवेदक की सास और बहू की शादी के चार महीने के भीतर ही उनके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और 2 लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग के संबंध में यातना का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु फांसी से हुई है, इसलिए इस स्तर पर आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आवेदक द्वारा इस जमानत याचिका में आत्महत्या का जो कारण बताया गया है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

10. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास का विवरण इस जमानत याचिका में दिया गया है।

11. इसके अलावा, आवेदक एक महिला है और उसके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। और इस मामले में वह 18.09.2025 से यानी पिछले छह महीनों से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. अतः, ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

14. आवेदक **मुनेश** को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और निजी मुचलका प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20 मार्च, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”